

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या-103 (2018-19) 2016-17

इशरत जहां, पति स्व0 अजीजुल बनाम एजार कबीर पिता स्व0 फैजुल कबीर

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
13.3.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद इशरत जहां, पिता स्व0 अजीजुल हक, महल्ला-दरियापुर कुतुबुद्दीन लेन, थाना-पीरबहोर पटना द्वारा अंचल अधिकारी, पटना सदर के न्यायालय का दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{682}{2}$ /2013-14 में पारित आदेश के विरुद्ध बिहार लैण्ड मुटेशन एक्ट, 2011 की धारा-9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने हेतु दिनांक-24.01.2017 को आवेदन दाखिल किया है।</p> <p>अभिलेख अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर वाद प्रतिग्रहित किया गया। विपक्षी को नोटिस निर्गत करते हुए अगली तिथि 27.05.2017 निर्धारित कि गयी। दिनांक-27.05.17 को नोटिस बिना तामिला वापस लौटने पर निबंधित नोटिस भेजने का आदेश पारित किया गया। दिनांक-30.08.17 को निबंधित नोटिस बिना तामिला वापस लौट गया। पुनः स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस का विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश दिया गया। दिनांक-20.09.17 को "दैनिक भाष्कर" स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित हुए। इसके पश्चात भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। दिनांक-28.02.2019 को आवेदक की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया।</p> <p>अभिलेख परिशीलन किया। आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, पटना सदर के दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{682}{2}$ /13-14 में पारित आदेश के विरुद्ध बिहार लैण्ड मुटेशन एक्ट-11 की धारा-9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। जो नियमानुकूल गलत है। अंचल अधिकारी के दाखिल खारिज के आदेश से असंतुष्टि होने पर भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए समक्ष पदाधिकारी है।</p> <p>आवेदक चाहें तो भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में व्यतीत हुए समय को क्षांत किया जाता है।</p> <p>आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">(राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना</p> <p style="text-align: center;">(राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना</p>	<p style="text-align: right;">233</p> <p>दापाक 15/3/19</p> <p>दिनांक 20/4/19</p> <p>शतिलिपि, अंचल अधिकारी पटना</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता पटना</p> <p>को सुनकर नोटिस भेजने का आदेश पारित किया गया। दिनांक-30.08.17 को निबंधित नोटिस बिना तामिला वापस लौट गया। पुनः स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस का विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश दिया गया। दिनांक-20.09.17 को "दैनिक भाष्कर" स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित हुए। इसके पश्चात भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। दिनांक-28.02.2019 को आवेदक की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया।</p> <p>अभिलेख परिशीलन किया। आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, पटना सदर के दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{682}{2}$ /13-14 में पारित आदेश के विरुद्ध बिहार लैण्ड मुटेशन एक्ट-11 की धारा-9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। जो नियमानुकूल गलत है। अंचल अधिकारी के दाखिल खारिज के आदेश से असंतुष्टि होने पर भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दाखिल करने के लिए समक्ष पदाधिकारी है।</p> <p>आवेदक चाहें तो भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में व्यतीत हुए समय को क्षांत किया जाता है।</p> <p>आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">(राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना</p> <p style="text-align: center;">(राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना</p>